2021/22

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़ मुकाम

श्री पतरगुरु बनाम चुन्नीलाल

मुकदमा प्रकरण 212 RTA नं. 5/2021 सन्

| तारीख क्रम | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 1/3/21 | प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA का बाद जांच पेश हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र से तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते जवाब दि. 25/3/21 को पेश हो। ह० उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़ | |
| 1/4/21 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी 1, लगायत 4 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं, आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नहीं इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र दिनांक 1/5/21 को पेश हो। ह० उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़ | |
| .5.21 | पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी ... प्रार्थना पत्र 212 RTA. ... एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस ... पर वकील प्रार्थी का कथन है कि वाद ... आराजी पैतृक पुश्तैनी है। प्रार्थी व अप्रार्थी | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Lal Jain
Date: 2021.06.24 13:34:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | 1 व 2 संयुक्त खाते होकर जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रार्थी तथा अप्रार्थी स0 1 व 2 के बीच विधिवत विभाजन नहीं होने से किसी के पास ज्यादा व किसी के पास उपजाऊ जमीन होने से मौके पर आये दिन विवाद होता रहता है। विधिवत रूप से बंटवारा हुये बिना अप्रार्थी चुन्नी लाल वाद ग्रस्त आराजी के अच्छे अच्छे हिस्से का विक्रय करना चाहता है जबकि प्रार्थी के पास अनउपजाऊ भूमि होने अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है, चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है। अगर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द फरमाया जावे कि वाद ग्रस्त आराजीयात विक्रय रहन या हस्तान्तरण अथवा खुर्द-बुर्द नहीं करे ना करावें। राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।<br><br>वकील प्रार्थी की बहस की रोशनी में प्रा0पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व [illegible] अवलोकनार्थ वर्तमान में [illegible] का खातेदार काश्तकार है। वाद ग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। प्रा0पत्र के जवाब में अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Lal Jain
Date: 2021.06.24 13:34:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

किये जा चुके है। ऐसी स्थिति में अनावश्यक विवाद नहीं बढे इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में निहित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA का स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा भूरकिया कला की $\frac{\text{आ.नं.}}{\text{रकबा}}$ - $\frac{61}{1.77}$ $\frac{62}{0.54}$, $\frac{66}{0.44}$ आ.नं. 88 रकबा 0.16 हे. आ.नं. 89 रकबा 0.09 हे. भूमि को मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात विक्रय, रहन या हस्तान्तरण अथवा खुर्द-बुर्द नहीं करे ना करावें। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय सरेइजलास लिखकर सुनाया गया। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावे। प[illegible] [illegible] शुमार होकर नत्थी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Lal Jain
Date: 2021.06.24 13:34:40 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड [illegible]कारी
बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner